राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(8)नविवि/2020 पार्ट 2–13890 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

स्पष्टीकरण

भारत सरकार की "Compliance Reduction and Deregulation" (Phase-II) के Priority Area-2 के अंतर्गत "Everything is Permitted until Prohibited" के सिद्वान्त के आधार पर मास्टर प्लान में विभिन्न भू–उपयोगों में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2026 को आदेश जारी किया गया था, जिसके Note में निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है किः–

"Activities marked as √ different land use zones are allowed as per the provisions of Prevailing Acts/Rules/Policies/Byelaws/Norms."

विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा प्राप्त प्रकरणों में उक्त आदेश एवं पूर्व में Development Promotion & Control Regulations (DPCR) हेतु जारी आदेशों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। जिसके क्रम में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में मास्टर प्लान के प्रस्तावित विभिन्न भू–उपयोग में वर्णित/दर्शित अनुज्ञेय (Allowed) भू–उपयोग गतिविधियॉ (Marked as " √ ") को Prevailing Acts/Rules/Policies/Byelaws/Norms यथा Development Promotion & Control Regulations (DPCR)/Township Policy/Building Byelaws आदि के अनुसार ही अनुमत किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
9. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.06.11 20:37:48 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref No.: 22801298
M e-Sign

10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त————————————————————।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
13. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव– प्रथम

RajKaj Ref No.: 22801298
M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.06.11 20:37:48 IST
Reason: Approved